

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ.17(ई)परावि/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/1012

जयपुर, दिनांक: 22/1/18

—:: संशोधित आदेश ::—

इस विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 24 दिनांक 03.01.2018 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी परिवार अथवा शिकायत की जाँच करने से पूर्व कुछ बिन्दुओं की पालना करवाई जायेगी तथा परिवार के साथ परिवार के सत्य होने व आवेदक के परिचय वाबत एक शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा।

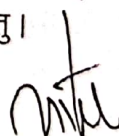
उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है कि शपथ पत्र 10 रुपये के स्थान पर 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेन्द्र शिखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ —

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
9. प्रोग्रामर, पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
क्रमांक.-एफ 17(ई)परावि/प्र.2/संस्था/परिपत्र/2014/461

जयपुर, दिनांक : 02/03/2022

आदेश

इस विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक 1012 दिनांक 22.02.2018 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी परिवार अथवा शिकायत की जांच करने से पूर्व कुछ बिन्दुओं की पालना कराई जायेगी तथा परिवार के साथ परिवार के सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत एक शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा, किया गया था परन्तु यह देखने में आया है कि परिवार/शिकायतों के साथ 30 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प संलग्न नहीं होते हैं जिससे कार्यालयों में अनावश्यक शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं एवं उन पर कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस बाबत पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त संबंधितों द्वारा परिवार के साथ परिवार के सत्य होने व आवेदक के परिचय बाबत एक शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर, शपथग्रहिता से सत्यापित संलग्न होना अनिवार्य होगा, अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

(पी.सी.किशन)

शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2-विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4-निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- 5-निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 6-निजी सचिव, आयुक्त नरेंगा।
- 7-मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
- 8-समस्त अधिकारीगण मुख्यालय को भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

9-विभाग अधिकारी पंचायत समिति समस्त।

10-मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

11-आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एन

संयुक्त शासन सचिव (एन)